<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

25.08.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जम्मू उप-आंचलिक कार्यालय ने 22.08.2025 को जम्मू और उधमपुर में विभिन्न स्थानों पर कस्टोडियन भूमि हड़पने के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है। यह तलाशी अभियान विभिन्न पटवारियों, तहसीलदारों, बिचौलियों और भूमि हड़पने वालों के खिलाफ चलाया गया है, जो लगभग 502.5 कनाल भूमि कस्टोडियन भूमि (निष्कासित लोगों द्वारा छोड़ी गई भूमि, जो पहले पाकिस्तान चले गए थे) से संबंधित धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार में लिप्त थे।

ईडी ने एसीबी, जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की।
ईडी की जाँच से पता चला कि कई सरकारी राजस्व अधिकारियों का एक पूरा तंत्र, निजी व्यक्तियों, भूमि हड़पने वालों और बिचौलियों के साथ मिलकर, जम्मू और उसके आसपास लगभग 502.5 कनाल सरकारी संरक्षक भूमि (पाकिस्तान चले गए विस्थापितों द्वारा छोड़ी गई भूमि) को धोखाधड़ी से हड़पने में लिप्त था। उक्त भूमि का मूल्य लगभग 20 करोड़ रुपये है। 2022 से जाली पिछली तारीख के म्यूटेशन रिकॉर्ड, पावर ऑफ अटॉर्नी, बिक्री विलेख और आधिकारिक राजस्व रिकॉर्ड में झूठी प्रविष्टियाँ बनाकर भूमि पर अवैध कब्ज़ा किया जा रहा था।

धोखाधड़ी से हड़पी गई सरकारी संरक्षक भूमि को बाद में जाली दस्तावेजों के माध्यम से बेच दिया गया और बिक्री से प्राप्त राशि (अपराध की आय) को आरोपी व्यक्तियों से संबंधित कई खातों के माध्यम से निजी उपयोग के लिए स्थानांतरित कर दिया गया।
तलाशी के परिणामस्वरूप संपत्ति, राजस्व रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्य से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज मिले।

आगे की जाँच जारी है।